



संस्कृत संवाद समाचार पत्र संस्कृत संवाद समाचार पत्र

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्थापना के असंवैधानिक बताने वाले गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के कदम बाद सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। सीबीआई के नदेशकरंजीत सनिहा ने कहा कि केंद्र शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार इस पर तेजी से आगे बढ़ रही है। उसका मानना है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले से इस प्रतिष्ठिति जंसी के क्वियाक्लापों पर अनश्चितता पैदा हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि संभावना है कि प्रधान न्यायाधीश के समक्ष शनिवार या रविवार के मामले का उल्लेख हो सकता है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के मंत्री वी नारायणसामी ने सनिहा और वधि अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकत कर उन्हें इस फैसले के बारे में जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई प्रमुख सनिहा और उनकी टीम ने अटॉरनी जनरल गुलाम ई वाहनवती के साथ बैठक की जिसमें याचिका की विषयवस्तु को अंतिम रूप दिया गया।

सीबीआई नदेशक ने कहा कि आदेश का लंबित मामलों पर कोई फरक नहीं पड़ेगा। सनिहा ने अपने खिलाफ चल रहे मामलों को बंद करने की सज्जन कुमार व राजा की मांग पर कहा कि यह कुछ भी नहीं है। हमारी कानूनी टीम ऐसे मुद्दे हल करने में सक्षम है।

कानून मंत्री कप्रलि सब्बल ने भी कहा कि आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस मुद्दे पर उनके साथ चर्चा कर अपील दायर करने का फैसला किया है।

अतिरिक्त महान्यायवादी पीपी मल्होत्रा ने कहा था कि फैसला स्पष्टतः गलत है। इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। हम नश्चित तौर पर इसे चुनौती देने जा रहे हैं।

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में गुरुवार को उस प्रस्ताव को खारज कर दिया था जिसके जरूरी सीबीआई की स्थापना हुई थी। अदालत ने सीबीआई की कर्वाइयों के असंवैधानिक ठहराया था। फैसला न्यायमूर्ति आइ अंसारी और न्यायमूर्ति इंदिरा शाह की खंडपीठ ने नवेंद्र कुमार की रटि याचिका पर दिया था। नवेंद्र ने सीबीआई की स्थापना वाले प्रस्ताव पर हाईकोर्ट के क्ल न्यायाधीश वाली पीठ की ओर से 2007 में दी गई आदेश को चुनौती दी थी।

उधर, भाजपा के नेता अरुण जेटली ने कहा कि इस समय मैं सर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं केवल सीबीआई के क्वियाक्लाप के बारे में चिंतित हूँ जो राजनीति

से प्रेरति है। इसके अवैध होने की बात मेरे ल। आश्चर्यजनक है। सीबीआइ के पूर्व नदिशक जोगदिर सहि ने कहा की इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अंतिमि नजरिया पेश करेगा।